

Topic1 :- बफर स्टॉक संबंधी सुधार

स्रोत - indian express

यह टॉपिक यूपीएससी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 3 खाद्य सुरक्षा, जीएस पेपर 2 नीति निर्माण

चर्चा में क्यों :- केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा के तहत बफर स्टॉक पर विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है। पिछले कुछ महीनों में गेहूँ और चना जैसे फसलों को खुले बाज़ार में बेचे जाने से अनाज तथा दालों की कीमतों में स्फीति को रोकने में सफलता प्राप्त हुई है।

इससे पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली खाद्य आपूर्ति में बाधाओं तथा साथ ही मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख खाद्य उत्पादकों के लिए बफर स्टॉक के निर्माण की आवश्यकता है।



केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई बफर स्टॉक नीति :-

- बफर स्टॉक को सुरक्षित खाद्य भंडार के रूप में भी जाना जाता है
- इसका तात्पर्य है कि किसी आवश्यक सामग्री या वस्तुओं को भंडारित किया जाए। इस स्टॉक (भंडार) का उपयोग आकस्मिक आपात स्थितियों या कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव के समय विपरीत परिस्थितियों से निपटने में किया जा सके।
- बफर स्टॉक नीति को चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में प्रस्तुत किया गया।

भारत सरकार (GOI) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रखता है:

- विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए जैसे की बाढ़, सूखा, युद्ध या कीमतों का अत्यधिक ऊपर यह नीचे होना।
- खुले बाज़ार की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद के लिये लिए।
- खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम भंडार को बनाए रखना।

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत मासिक आवंटन की व्यवस्था करना।

न्यूनतम भंडारण के लिए मानदंड :-

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा तिमाही आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है।

बफर स्टॉक के आँकड़ों की समीक्षा :- यह समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर की जाती है।

देश में बफर स्टॉक के लिये ढालों को खरीदने की जिम्मेदारी निम्न लिखित संस्थाओं की है :-

1. लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)
2. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED)
3. भारतीय खाद्य निगम (FCI)।

ढालों के मूल्य में होनेवाला उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिये वर्ष 2015 में सरकार ने 1.5 लाख टन ढालों का बफर स्टॉक तैयार करके का निर्णय लिया।

बफर स्टॉक के लाभ :-

- बफर स्टॉक से हम कमजोर वर्गों के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं।
- बफर स्टॉक हमें विपरीत परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है जैसे सूखा, बाढ़, कम उत्पादन।
- खाद्यान्न में होने वाले मूल्य के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर सकते हैं।
- भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India - FCI) ने वर्ष 2022-23 में बाज़ार में आपूर्ति बढ़ाने के लिये 34.82 लाख टन गेहूँ को बाजार में उपलब्ध कराया।
- Food Corporation of India द्वारा होने वाली खुले बाज़ार में बिक्री योजना के माध्यम से अनाज और गेहूँ में खुदरा मुद्रास्फीति को काफी कम करने में सफलता पाई है।
- बफर स्टॉक के माध्यम से किसानों के अनाजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है जिससे किसानों को भी मदद प्रदान होती है।
- बफर स्टॉक के माध्यम से किसानों की आय स्थिर होती है साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
- कॉविड जैसी महामारी के समय इस बफर स्टॉक का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है।

बफर स्टॉक की चुनौतियाँ:

- भारत जैसे देश में उचित भंडारण व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर अनाज खुले में रखे जाने कारण बर्बाद हो जाता है
- अनाज को खरीदते समय भी कई प्रकार की खामियां देखने को मिलती हैं जिसके तहत कुछ अनाज तो अधिक खरीदने जाते हैं जबकि अनाजों को कम खरीदा जाता है।
- बड़े-बड़े भंडार स्टॉक को बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जिससे वित्तीय भार बढ़ता है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- FCI भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करने वाली संस्था है
- यह सरकारी स्वामित्व वाला निगम है।
- **स्थापना :-** 1965 में
- **किस अधिनियम के तहत :-** खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत

उद्देश्य :-

- पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने
- बाज़ार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए
- FCI ई-नीलामी आयोजित करता है जिसके माध्यम से फवाजिल खाद्यान्न से निपटा जा सके।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेतु FCI ही उत्तरदायी है।
- FCI खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है।

प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये। (2021)

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट विलेज)' दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।

2. सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।

3. भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकियों के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

Topic 2 :- भारत का डीप ड्रिल मिशन

स्रोत - The hindu

चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अन्य संस्थाओं की मदद से भू-पर्पटी में 6 किलोमीटर गहराई ड्रिलिंग का कार्य प्रारंभ किया है।

यह खुदाई का काम महाराष्ट्र के कराड में किया जा रहा है इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बोरहोल जियोफिज़िक्स रिसर्च लेबोरेटरी (Borehole Geophysics Research Laboratory- BGRL) नामक संस्थान की मदद ले रहा है जिसके द्वारा पृथ्वी की भू-पर्पटी में ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया है। यह ड्रिलिंग का कार्य 6 किलोमीटर तक किया जाएगा। अभी तक इस ड्रिलिंग परियोजना के तहत 3 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है।

डीप ड्रिलिंग मिशन के कोयना को ही क्यों चुना गया:-

- भूकंप दो प्रकार से आते हैं एक प्राकृतिक दूसरा मानव निर्मित
- प्राकृतिक भूकंप के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिक (tectonic plate) सीमाओं पर उत्पन्न होने वाले भूकंप को रखा जाता है।
- जबकि कोयना क्षेत्र में आने वाले भूकंप मानव निर्मित होते हैं
- वर्ष 1962 में कोयना में कोयना बाँध का निर्माण किया गया। जिसके बाद इस क्षेत्र में निरंतर भूकंप आए।
- इस प्रकार के भूकंप को मानव निर्मित जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता (Reservoir-Induced Seismicity - RIS) कहा जाता है।

क्या है इस ड्रिलिंग का लक्ष्य :- ड्रिलिंग के माध्यम से वैज्ञानिक इन भूकंपों के स्रोत पर पृथ्वी की संरचना और दबाव का प्रत्यक्ष अध्ययन करना चाहते हैं तथा यहां उत्पन्न होने वाले भूकंप के मुख्य कारणों का पता लगाना चाहते हैं।

कोयना बाँध के आस पास 50 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा कोई अन्य महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है जिससे यहां भूकंपीय गतिविधि हो। परंतु फिर भी यहां नियमित भूकंप देखने को मिलते हैं यह बात ही कोयना को अनुसंधान के लिये एक आदर्श स्थान बनाता है।

कोयना ड्रिलिंग तकनीक में मड रोटी ड्रिलिंग और पर्वेशन ड्रिलिंग (एयर हैमरिंग) का संयोजन किया जाता है।

साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग क्या है :-

साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग का अर्थ होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिये पृथ्वी की भूपर्पटी में की गई ड्रिलिंग।

इस प्रकार की ड्रिलिंग से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं तथा यहां पर घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी को भी और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

भूपर्पटी में ड्रिलिंग करने के लिए कई प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें से मुख्य तकनीक के नीचे दी गई हैं।

रोटी ड्रिलिंग:

- इस तकनीक में चट्टानों को काटने के लिये ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है।
- ड्रिल बिट को एक ड्रिल स्ट्रिंग के साथ जोड़ा कर प्रयोग में लिया जाता है।
- चट्टानों को सतह पर ले जाने के लिये और बिट को ठंडा करने के लिए ड्रिलिंग मिट्टी को प्रसारित किया जाता है।

पर्वेशन ड्रिलिंग (एयर हैमरिंग):

- हथौड़े को चलाने के लिये उच्च वायुदाब का उपयोग किया जाता है।
- यह ड्रिल बिट पर तीव्र गति से प्रहार करता है और चट्टान को तोड़ता है साथ ही टूटी हुई चट्टान के अवशेषों को बाहर निकालता है।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किन विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है :-

1. ड्रिलिंग और गहरे बोरहोल के माध्यम से आंतरिक शैल का नमूना प्राप्त करने

2. भूकंपीय तरंग विश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण माप एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके।

भूकंपीय तरंगें: भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

3. उल्कापिंड की संरचना: ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उल्कापिंड का निर्माण भी उन्हीं तत्वों से हुआ है जिसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है।

विश्व की अन्य डीप ड्रिलिंग परियोजनाएँ

अमेरिका का प्रोजेक्ट मोहोल:

- यह प्रोजेक्ट 1960 के दशक में अमेरिका में किया गया।
- जिसका उद्देश्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाना था।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पृथ्वी की पर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा से नमूने प्राप्त करने का प्रयास किया गया।
- जिसके लिये दुनिया का सबसे गहरा ड्रिल (Drill) करने का प्रयास किया गया।
- इसे मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी का नाम दिया गया।
- इसे वर्ष 1966 में रोक दिया गया।

कोला सुपरडीप बोरेहोल:

- यह प्रोजेक्ट रूस से संबंधित है।
- जिसे प्रोजेक्ट को 1970 के दशक में शुरू किया गया।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानव द्वारा विश्व का सबसे गहरा hole किया गया।
- इस होल की गहराई 12,262 मीटर थी।

चीन की डीप होल परियोजना:

इस परियोजना के तहत चीन शिंजियांग प्रांत में 10,000 मीटर गहरा एक होल कर रहा है।

उद्देश्य :-

1. 10 से अधिक महाद्वीपीय परतों में प्रवेश करना
2. 145 मिलियन वर्ष प्राचीन क्रेटेशियस सिस्टम तक पहुँच सुनिश्चित करना।

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2013)

1. विद्युत चुंबकीय विकिरण
2. भू-तापीय ऊर्जा
3. गुरुत्वाकर्षण बल
4. प्लेट संचलन
5. पृथ्वी का घूर्णन
6. पृथ्वी की परिक्रमा

उपर्युक्त में से कौन पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिये जिम्मेदार हैं?

- (a) केवल 1, 2, 3 और 4
- (b) केवल 1, 3, 5 और 6
- (c) केवल 2, 4, 5 और 6
- (d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (d)

प्रश्न. भूकंप से संबंधित संकटों के लिये भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिये। पिछले तीन दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंपों द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ कीजिये। (2021)

Topic 3 :- ग्राम न्यायालय

स्रोत :- The hindu

चर्चा में क्यों :- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालयों एवं राज्यों को आदेश दिया गया है कि वह ग्राम न्यायालयों की स्थापना से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश देने का कारण :- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे तत्व सामने आए हैं जिनसे यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण अदालतों की कार्य करने की गति धीमी है।



सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ :-

- इन ग्राम न्यायालय की स्थापना ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा की जानी थी
- इन ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य न्यायालयों में बढ़ने पढ़ने वाले वादों की संख्या को कम करना तथा प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना था।
- ग्राम न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य न्याय तक पहुँच को बेहतर और सुनिश्चित करना था,
- कुल 16,000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था किंतु अभी तक केवल 450 ही स्थापित हो पाई हैं, इसमें से भी केवल 300 ही कार्यरत हैं।
- भारत में न्यायालयों में लंबित मामले एक बड़ी समस्या हैं
- निचले न्यायालयों में अभी चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
- ग्राम न्यायालयों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे न्यायिक प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है।

रिपोर्टिंग का अभाव: - हाल ही में देखा गया की राज्य और उच्च न्यायालय ग्राम न्यायालयों की स्थिति के बारे में विवरण देने वाले हलफनामे प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिरोध: झारखंड और बिहार और अन्य राज्यों में जहां पर जनजातीय क्षेत्र अधिक हैं वहां स्थानीय या पारंपरिक कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हुए जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम न्यायालय स्थापित करने का विरोध व्यापक तौर पर किया जा रहा है।

ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं :-

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिये उत्तरदाई हैं किंतु अधिनियम के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाया गया है।

ग्राम न्यायालय क्या हैं?- ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में किया।

उद्देश्य :- ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुँच प्रदान करने के लिये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A स्पष्ट करता है की विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये समान अवसर प्रदान करने हेतु निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिये स्थापित किये जाते हैं।
- ग्राम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी को ही न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है।
- इनकी नियुक्त राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
- न्यायाधिकारी का तात्पर्य न्यायिक अधिकारी से है जिनका वेतन और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों के तहत कार्यरत प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के समान होती हैं।

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है।

2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: C

Topic 4 :- बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार

हाल ही में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 नागालैंड ने जीता है। यह पुरस्कार 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया।

वयों मिला नागालैंड को यह पुरस्कार :- बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रम और नीतियां शुरू करने के लिए

नागालैंड सरकार के द्वारा बागवानी क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं उससे बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नागालैंड के तीन कृषि उत्पादों (बागवानी फसलों)को भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्राप्त है ये हैं :- नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा।

राज्य कृषि विभाग ने 'बागवानी मॉडल गांव' की अवधारणा को भी प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत राज्य में 16 गांवों को एक फसल एक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।

बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

यह कृषि नेतृत्व पुरस्कार है

स्थापना :- 2008 में।

यह प्रतिवर्ष किया जाने वाला पुरस्कार है

***उद्देश्य:-** भारतीय कृषि के विकास और ग्रामीण समृद्धि लाने की दिशा में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा निभाई गई उत्कृष्टता और नेतृत्वकारी भूमिका को मान्यता प्रदान करना।

